61

संख्या /X-2-19-(5)/2014
दिनांक 10 नवम्बर, 2014

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य वन्यजीव संरक्षक
उत्तरखण्ड।

विषयः– जंगली सुअर, नीलगाय व बंदरों के आखेट हेतु अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध में।

महोदय,

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के धारा 11(1)(ख) के अन्तर्गत वन भूमि के बाहर खडी फसल को अथवा जाल माल को नुकसान पहुँचाने वाले जंगली सुअर, नील गाय तथा लाल बंदरों के आखेट की अनुमति देने तथा इस प्रकार आखेट किए गए उपरोक्त वन्यजीवों को उक्त अधिनियम की धारा 39 (3)(ग) के अन्तर्गत नष्ट करने हेतु मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा अपने अधिकारों का उक्त अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत अपर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों, उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों, वन्य जीव प्रतिपालकों तथा सहायक वन्यजीव प्रतिपालकों को प्रतिनिधायन कर प्रधिकृत करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्रदान किये जाने का मुझे निर्देश हुआ है, जिनके द्वारा अनुमतियॉ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकेंगी।

1. अनुमति प्राप्त करने के लिए विधिवत आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र पर स्थानीय ग्राम प्रधान की संस्तुति अनिवार्य होगी।
3. प्राप्त अनुमति के अधीन जंगली जीव को मारने की कार्यवाही वन क्षेत्रों से बाहर की जाएगी। चोट लगने से घायल जंगली जीव का पीछा वन क्षेत्रों के भीतर नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

2702
पत्रांक ...../X–2–19–(5)/2014 दिनांक 10 –11–2014.11.05
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/गृह/पशुपालन/कृषि/उद्यान/शहरी विकास, उत्तरखण्ड शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तरखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

5/11/2016

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव